उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीसीडा काम्पलैक्स
ए–1/4, लखनपुर,
कानपुर–208024 (उ0प्र0)
दूरभाष –0512–2580906 कैम्प का0
Website: www.onlineupsidc.com
Email : md@upsidc.com

संदर्भ संख्या /यूपीसीडा/ दिनांकः

कार्यालय आदेश

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 21.10.2022 के क्रम में शासनादेश संख्या 09/2022–वे0आ0–1–847/दस–2022–8(एम)/2016 दि0 18.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में दिनांक 01.07.2022 से मूल वेतन का 38 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक की अवधि हेतु देय धनराशि में नियमानुसार आयकर एवं भविष्य निधि अंशदान की कटौती करने के उपरान्त अवशेष धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। उक्त मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का नकद भुगतान दिनांक 01.10.2022 (माह अक्टूबर, 2022 के वेतन में) से उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाई की जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

(रिज़वाना शाहिद)
प्रशासनिक अधिकारी

पृ0सं0 4604–07 /यूपीसीडा/स्था–69/डीए–भाग–3 दिनांकः 25.10.2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड–1,2,3,4,5,6,7,8,9 एवं ट्रांसगंगा/विद्युत खण्ड–1 एवं 2 यूपीसीडा।
3. प्रभारी (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. निज सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए/पी), यूपीसीडा, कानपुर।
5. गार्ड फाइल।

25/10/22

(रिज़वाना शाहिद)
प्रशासनिक अधिकारी